000 न्या. अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी

प्र० स०

आदेश पत्रक

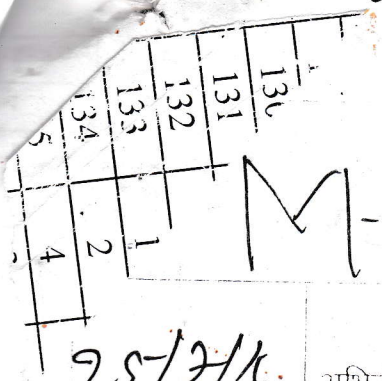

M-103/2016

प्रथम पक्ष – जीनिद बाह होरो
बनाम
द्वितीय पक्ष– नरेन्द्र महतो वगै०

25/7/16	अभिलेख संख्या :– एम. 103 / 2016 धारा :– 107 द.प्र.सं. थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :– 31/16 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :– जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं **अनुमंडल दण्डाधिकारी**, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.सं. की धारा 107 कि अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हे एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख दिनांक :– 5/8/16 को उपस्थापित करें। 25/7 अनुमंडल दण्डाधिकारी खूँटी	221 25/7/16

(4)

22/9/12	प्रथम पक्ष के एक सहायक उपस्थित विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित पुनः दि० 12/10/12 को पेश हो।	
12/10/12	प्रथम पक्ष के एक सहायक उपस्थित विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित पुनः दि० 31/10/12 को पेश हो।	
31/10/12	प्रथम पक्ष के एक सहायक उपस्थित, विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित अंचल अधिकारी को जाँच प्रतिवेदन हेतु पुनः स्मारित करें पुनः दिनांक 10.XI.17 को रखें। 31/X/2017	
10/XI/17	जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त उपस्थित पक्ष अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करें दिनांक 21.11.17 को रखें। 10/XI/2017	387 / 10/11/17
21/11/12	विपक्षी के अधिवक्ता उपस्थित प्रथम पक्ष के एक सहायक उपस्थित। विरोधीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अंचल अधिकारी रजौली के प्रतिवेदनानुसार उभयपक्षों के बीच सिविल न्यायालय, रजौली के न्यायालय में प्रोबेट केस लंबित है। वादका निपटारा सिविल न्यायालय से हो जाने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बंद की जाती है। (21/11/17)	